कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ (राज.)

email : dc-chi-rj@nic.in (☎01472-294081)

क्रमांक/स्थापना/2025/4600 दिनांक : 23.09.2025

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा. उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2025/936 दिनांक 18.01.2025, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/IA-4(i)(a)113/2024/903 दिनांक 19.09.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मांह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23700/– (अक्षरे तेईस हजार सात सौ मात्र) रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :

S. No.	Merit No.	Roll No.	Name of Candidate (Sarv Sh./Smt/Ms.)	DOB	Category
01	51	53766	ASHISH PAREEK	18.08.2003	GEN
02	52	53839	ASHUTOSH SAINI	29.05.2002	GEN
03	107	62959	VISHAL MORYA	01.08.2004	SC
04	119	62337	SURGYANI MEENA	08.10.2005	ST
05	7	40825	ARCHIT PAREEK	15.12.2003	GEN

1. सभी नियुक्तियां आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय की संयुक्त परीक्षा 2025 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गयी हैं, सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पायी गयी तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण एवं व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। अभ्यर्थी की आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय के पद पर नियुक्ति कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
9. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः...2

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. इस नियुक्ति आदेश साथ साक्ष्यांकन पत्र (06 पृष्ठ), चरित्र प्रमाण पत्र (01 पृष्ठ) एवं पुलिस सत्यापन पत्र (02 पृष्ठ) प्रेषित किये जा रहे है। कार्यभार ग्रहण करते समय साक्ष्यांकन पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की पूर्ति की जाकर पदस्थापन कार्यालय के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। आपके जिले के सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से नियमानुसार पुलिस सत्यापन कराया जाकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अथवा प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जांच हेतु जमा करानें की रसीद प्रस्तुत करें।
12. कार्य भार ग्रहण करते समय सम्बन्धित समस्त शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर योग्यता सम्बन्धी मूल दस्तावेजात एवं स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।
14. समस्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन आदेश इस आदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित है। अतः समस्त अभ्यर्थी सम्बन्धित पदस्थापन कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करें।

----------Sd----------
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़

क्रमांक/स्था./2025/ 4602 **दिनांक :** 23.09.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. प्रभाराधिकारी (ई–कोर्ट) जिला एवं सेशन न्यायालय, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. SHRI ASHISH PAREEK S/O SHRI PANKAJ GARG R/O CHHOTI PIPLI KE PASS, DHOD ROAD, WARD NO. 22, SIKAR-332001, RAJASTHAN (Email : purohitashish023@gmail.com)
4. SHRI ASHUTOSH SAINI S/O SHRI GOPAL SAINI R/O WARD NO. 25, RAM BAG NARSRI KE PASS, SIKAR-332001, RAJASTHAN (Email : luciferkal523@gmail.com)
5. VISHAL MORYA S/O BABU LAL MORYA R/O WARD NO. 3, VILL. MOLAIPURA, POST WAZIRPURA, TEHSIL & DISTRICT TONK-304001, RAJASTHAN (Email : vishalmoriya3545@gmail.com)
6. MISS SURGYANI MEENA D/O SHRI NANCHHU LAL MEENA R/O GRAM BADAGANV BHATIYA, POST AKHEPURA, JAIPUR-302013, RAJASTHAN (Email : pkkarol551@gmail.com)
7. SHRI ARCHIT PAREEK S/O SHRI MURARI LAL PAREEK R/O WARD NO. 25, SALAM SINGH KI DHANI, JEEWAN NAGAR, SANWALI ROAD, SIKAR-332001, RAJASTHAN (Email : pareekarchit2003@gmail.com)
8. गार्ड/संबंधित पत्रावली

23.9.2025
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़